10/10/22 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील वादीगण उप.। दौराने बहस वकील वादीगण का कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी भूमि है जिससे प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादीया वादीगण की भूमि की भूमि की सींवजोड़ काश्तकार है जो वादीगण की भमि में वादीगण के कब्जे काश्त में मुजाहयज पैदा करती है व 2000 वर्ग फीट भूमि में निर्माण कर अतिकमण कर लिया है। अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादिया द्वारा किये गये अतिकमण को हटाया जावे व प्रतिवादिया को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादीगण की खातेदारी भमि में किसी प्रकार का अतिकमण न करे, निर्माण न करे व न ही वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादी संख्या 1 व 2 का तथा बतौर गवाह महावीर प्रसाद, चिरंजीलाल का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदां शपथ पत्र पेश किये हैं।

पत्रावली पर मौजूद वाद पत्र, राजस्व रिकार्ड बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पमान का ध्यानपूर्वक गहनता से अध्ययन किया गया जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 576 रकबा 1.32 हैक्टेयर ग्राम छापर की खातेदारी में वादी सं0 7/36, वादी सं0 27/36 के खातेदार काश्तकार है, शेष हिस्से के खातेदार अन्य व्यक्ति है। जिनको इस वाद में वादी/प्रतिवादी/तरतीबी प्रतिवादी के रूप में संयोजित नहीं किया है। अन्य तथ्य यह है कि प्रतिवादिया का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि की सींवजोड काश्तकार है। अतः यहाँ यह पूर्णतया साबित नहीं है कि प्रतिवादिया ने वादीगण के हिस्से में ही निर्माण आदि किया है। वादीगण को निर्माण हटवाने के लिए वादीगण को पृथक से बेदखली का वाद प्रस्तुत

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

करना चाहिए था अथवा इसी वाद पत्र में संबंधित धाराओं का उल्लेख करना चाहिए था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादिया को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि खसरा नंबर 576 रकबा 1.32 हेक्टेयर ग्राम छापर तहसील नीमकाथाना में वादीगण के हिस्सा 7/18 में कोई अतिक्रमण नहीं करे, न कोई निर्माण करें, न वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)